

Old Demand Note

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।

पत्रांक 563/14-1 दिनांक बागपत 24 अक्टूबर 2016।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागपत।

विषय:- जनपद बागपत लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / यू0पी0/06/23/2016/एफ0सी0/316 दिनांक 28.09.2016 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0 755/बागपत/14525/यू0पी0-128 दिनांक 06.09.2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट जो आपको भी पृष्ठांकित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 8बी / यू0पी0/06/23/2016/एफ0सी0/316 दिनांक 28.09.2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की है एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की अक्षरशः अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति उल्लिखित:-

शर्त सं0-1 के अनुपालन प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 2.50 हे0 पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु0-1769192 (रु0 सत्रह लाख उनहत्तर हजार एक सौ यानवे)

शर्त सं0-2(क) के अनुपालन हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वन भूमि का रु0 8.03 लाख प्रति हे0 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि-975645 (रु0 नौ लाख पिचेहत्तर हजार छः सौ पैतालीस) मात्र अर्थात कुल धनराशि-2744837.00 मात्र ई-पेमेंट पोर्टल के माध्यम से (forest clearance.nic.in)

COMPENSATORY AFFORESTATION FUND (CAFUTTAR PRADESH)

A/C No.-037100101025230

NAME OF BANK- CORPORATION BANK, CGO COMPLEX LODHI ROAD, NEW DELHI

MODE OF ACCOUNT- SAVING

ACCOUNT No.- 037100101025230

IFSC- CORP0000371

जमा करना होगा तथा बाधक 30 वृक्षों का छपान व्यय की धनराशि रु0-300 (तीन सौ मात्र)-व-कन्टीजेन्सी व्यय की धनराशि रु0-88475.00 (अट्ठासी हजार चार सौ पिचेहत्तर) मात्र कुल धनराशि रु0 88775.00 (अट्ठासी हजार सात सौ पिचेहत्तर) मात्र जो कि ' प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ ' के नाम देय ड्राफ्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

पत्रांक / दिनांक
प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मेरठ वृत्त मेरठ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

बागपत वन प्रभाग बागपत।

मॉग पत्र (डिमाण्ड नोट)

भारत सरकार,द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-28.09.2016 मे उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागपत द्वारा जनपद बागपत के अर्न्तगत मेरठ - बागपत मार्ग किमी० 71 पर हिण्डन नदी पर सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण मे उस पर अवस्थित/खडे बाधक 30 वृक्षों के पातन से होने वाली क्षति के फलस्वरुप दस गुने वृक्षों के रोपण कराये जाने हेतु एवं अन्य मदों की धनराशि की आवश्यकता:-

क्रम सं०	कार्य का विवरण	वांछित धनराशि (रु० मे)
1	2	3
1	विषयगत परियोजना के निर्माण मे प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 2.50 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि।	1769192.00
2	1.215 हे० वनभूमि का नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) रु० 8.03 लाख प्रति हे० की दर से	975645.00
योग		2744837.00
3	कन्टीजेन्सी व्यय	88475.00
4	30 वृक्षों का छपान व्यय रु० 10/- प्रति वृक्ष	300.00
कुल योग		2833612.00

(रु० अट्ठाईस लाख तैंतीस हजार छः सौ बारह मात्र)


प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, रोकटर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolk@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./06/23/2016/एफ.सी. 316

दिनांक: 28/9/16

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

विषय: बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मेरठ-बागपत मार्ग किमी० 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर संपर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद मेरठ व बागपत की 1.215 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक- 325/बागपत/14825/यू०पी०-128/2015, दिनांक-12.08.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक- 1664/बागपत/14825/यू०पी०-128/2015, दिनांक-09.02.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र-232, दिनांक- 09.08.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मेरठ-बागपत मार्ग किमी० 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर संपर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद मेरठ व बागपत की 1.215 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अतिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात् 2.50 हे० (1.215x2= 2.43 ha.) पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथाराशोधित) जमा की जाएगी।
- 2 (क) प्रयोक्ता अतिकरण द्वारा गानगीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
- (ख) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशि निधियां प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि परचम तथा योजना प्राधिकरण के तत्त्व निदेश के तहत संख्या-एन०बी०-25230 कार्पोरेशन वन विभाग संख्या का अंकन एवं जिल्ला लार्ड कोमपलक्स में जमा की जाएगी जिसके उपरान्त पावती की प्रत्येक जमा की गयी धनराशि का ई-प्रॉजि के समक्ष दस्त

ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सौद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का गद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
 5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0व्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. वन संरक्षक, गरठ बुल्ल, गरठ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत वन प्रभाग, बागपत, उ0 प्र0।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत, उ0प्र0।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदर्श प्रत्रावर्तन

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

New Demand Note

&

Estimate

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।
पत्रांक 1079/14-1 दिनांक बागपत 11 नवम्बर 2016।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बागपत।

विषय:- जनपद बागपत लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / यू0पी0 / 06 / 23 / 2016 / एफ0सी0 / 316 दिनांक 28.09.2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको पृष्ठांकित है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है जिसमें शर्त सं0-1 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित कर जमा करने के निर्देश दिये हैं। जिसके क्रम विवरण निम्न प्रकार है:-

पूर्व में 142.00 प्रति मानव दिवस के दर अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि	वर्तमान में 174.00 प्रति मानव दिवस दर अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि
1460803.00	1769192.00

पूर्व में 142.00 प्रति मानव दिवस के दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का प्राक्कलन रु0-1460803.00 मात्र प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा शर्त सं0-1 के अनुसार वर्तमान दरों को समाहित करते हुये 174.00 प्रति मानव दिवस दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु0-1769192.00 मात्र है जिसका प्राक्कलन संशोधित कर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत।

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0 प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक मेरठ वृत्त मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत

लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बागपत द्वारा हिण्डन नदी पर बालैनी में सकरे सेतु निर्माण के स्थान पर नये सेतु निर्माण में 1.215 है संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग होने वाली वन भूमि के फल स्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन।

स्थल का नाम- मुकारी वन ब्लाक

क्षेत्रफल- 2.5 है० (शुद्ध)

4.00 है० (सकल)

पौध की सं०- 5000

अग्रिम मृदा कार्य-प्रथम चरण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण कार्य	4.00	83	प्र०है०	332.00
2	क्षेत्र की सफाई अत्याधिक धने झुण्ड खोद कर बाहर फेंकना	4.00	3680	प्र०है०	14720.00
3	गडढों का रेखांकन कार्य	5000	0.18	प्र०ग०	900.00
4	गडढों का खुदान कार्य (0.45x0.45x0.45x0.80)/0.15 अर्थ ओगर द्वारा	5000	14.30	प्र०ग०	71500.00
5	बोरिंग मय समस्त सामग्री के मूल्य सहित	1	34000	प्रति	34000.00
6	ऊसर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नाली बनाना	2.5	3480	प्र०है०	8700.00
7	क्षेत्र की सुरक्षा हेतु सुरक्षाखाई खुदान कार्य	625	29.20	प्र०मी०	18250.00
8	जिप्सम/ऊसर सुधारक क्रय मय ढुलान	2.5	18140	प्र०है०	45350.00
9	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2498.00
योग					196250.00
या					196250.00
वृक्षारोपण कार्य -- द्वितीय चरण					
1	गडढे के भरण हेतु गोबर खाद क्रय व ढुलान	2.50	6000	प्र०है०	15000.00
2	गडढे के भरण हेतु मिश्रण कर भरण	5000	1.39	प्र०ग०	6950.00
3	पौध क्रय 5 प्रतिशत अतिरिक्त				
	1- थैली पौध	3675	9.00	प्र०पौ०	33075.00
	2- पिण्डी पौध	1545	23.00		35535.00
3	पौध ढुलान किमी० 11 से किमी० 20				
	1- थैली पौध	3675	1.38	प्र०पौ०	5071.50
	2- पिण्डी पौध	1545	10.72		16562.40
4	पौधों का रोपण थैली पौध				
	1- थैली पौध	3500	4.16	प्र०पौ०	14560.00
	2- पिण्डी पौध	1500	4.91		7365.00
5	सुरक्षा खाई पर दो लाईनों में बुआन हेतु बीज क्रय	2.50	3450	प्र०है०	8625.00
6	सुरक्षा खाई ड्रेसिंग कार्य एवं दो लाईनों में बीज बुआन	625	5.95	प्र० 100 मी०	0.00
7	पौधों की सिंचाई 5 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	24250.00
8	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
9	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.07	प्र०पौ०	10700.00
10	पौधों हेतु रासायनिक एवं कीटनाशक क्रय	2.5	1250	प्र०पौ०	3125.00
11	सुरक्षा हेतु वाचर	1x 9 माह	4524	प्रति	40716.00
12	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2816.00
योग					242200.90
या					242200.00

क्रमशः 2 पर

(2)

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- मुकारी वन ब्लॉक

क्षेत्रफल- 2.5 है० (शुद्ध)

पौध की सं०- 5000

1	असफल पौधे के गड्ढों का खुदान 20 प्रतिशत	1000	3.48	प्र० ग०	3480.00
2	पौध क्रय 5 प्रतिशत अतिरिक्त	1050	23.00	प्र० ग०	24150.00
3	पौध का ढुलान 11 किमी० 20 तक	1050	10.72	प्र० ग०	11256.00
4	पौधों का रोपण	1000	4.91	प्र० ग०	4910.00
5	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र० पौ०	38800.00
6	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र० पौ०	17850.00
7	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र० पौ०	10400.00
8	वृक्षरोपण क्षेत्र को अग्नि से बचाने हेतु क्षेत्र की सफाई कार्य	2.50	3060	प्र० है०	7650.00
9	पौधों हेतु रासायनिक खाद	2.50	1250	प्र० पौ०	3125.00
10	सुरक्षा खाई मरम्मत	625	8.33	प्र० मी०	5206.25
11	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
12	सुरक्षा हेतु वाचर	1x 12 माह	4524	प्रति	54288.00
13	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	-	-	-	29875.00
योग					212990.25
या					212990.00
द्वितीय अनुसूचक- चतुर्थ चरण					
1	असफल पौधे के गड्ढों का खुदान 10 प्रतिशत	500	3.48	प्र० ग०	1740.00
2	पौध क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	550	23.00	प्र० ग०	12650.00
3	पौध का ढुलान 11 किमी० 20 तक	550	10.72	प्र० ग०	5896.00
4	पौधों का रोपण	500	4.91	प्र० ग०	2455.00
5	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र० पौ०	38800.00
6	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र० पौ०	17850.00
7	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र० पौ०	10400.00
8	वृक्षरोपण क्षेत्र को अग्नि से बचाने हेतु क्षेत्र की सफाई कार्य	2.50	3060	प्र० है०	7650.00
9	पौधों हेतु रासायनिक खाद	2.5	1250	प्र० पौ०	3125.00
10	सुरक्षा खाई मरम्मत	625	8.33	प्र० मी०	5206.25
11	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
12	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 12 माह	4524	प्रति	54288.00
13	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	-	-	-	2430.00
योग					164490.25
या					164490.00
तृतीय अनुसूचक- पंचम चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र० पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र० पौ०	17850.00
3	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र० पौ०	10400.00
4	वृक्षरोपण क्षेत्र को अग्नि से बचाने हेतु क्षेत्र की सफाई कार्य	5.00	3060	प्र० है०	15300.00
5	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
6	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 12 माह	4524	प्रति	54288.00
7	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2422.00
योग					141060.00
या					141060.00

(3)

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम— मुकारी वन ब्लाक

क्षेत्रफल— 2.5 है० (शुद्ध)

पौध की सं०— 5000

1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
3	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र०पौ०	10400.00
4	वृक्षरोपण क्षेत्र को अग्नि से बचाने हेतु क्षेत्र की सफाई कार्य	5.00	3060	प्र०है०	15300.00
5	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
6	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 12 माह	4524	प्रति	54288.00
7	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2422.00
योग					141060.00
या					141060.00

पंचम् अनुरक्षण— सप्तम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
3	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र०पौ०	10400.00
4	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
5	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 12 माह	4524	प्रति	51120.00
6	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2930.00
योग					123100.00
या					123100.00

षष्ठम् अनुरक्षण— अष्टम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
3	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र०पौ०	10400.00
4	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
5	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 12 माह	4524	प्रति	51120.00
6	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2930.00
योग					123100.00
या					123100.00

सप्तम् अनुरक्षण— नवम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
3	पौधों की थांवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र०पौ०	10400.00
4	इंजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
5	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 09माह	4524	प्रति	40716.00
6	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2404.00
योग					112170.00
या					112170.00

(4)

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- मुकारी वन ब्लॉक

क्षेत्रफल- 2.5 है० (शुद्ध)

पौध की सं०- 5000

अष्टम् अनुरक्षण- दसम् चरण					
1	पौधों की सिंचाई 8 बार	5000	0.97	प्र०पौ०	38800.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	5000	1.19	प्र०पौ०	17850.00
3	पौधों की थाँवला बन्दी 2 बार	5000	1.04	प्र०पौ०	10400.00
4	ईजन मरम्मत	L.S.	L.S.		2000.00
5	सुरक्षा हेतु वाचर	1 x 09 माह	4524	प्रति	40716.00
6	अन्य आकस्मिक एवं निरीक्षण आदि पर व्यय	L.S.	L.S.	-	2404.00
योग					112170.00
या					112170.00

सारांश

क्र० सं०	चरण	धनराशि (रु० में)	10 प्रतिशत वृद्धि	कुल धनराशि (रु० में)
1	प्रथम चरण	196250.00	0.00	196250.00
2	द्वितीय चरण	242200.00	0.00	242200.00
3	तृतीय चरण	212990.00	0.00	212990.00
4	चतुर्थ चरण	164490.00	0.00	164490.00
5	पंचम चरण	141060.00	0.00	141060.00
6	षष्ठम् चरण	141060.00	1.10	155166.00
7	सप्तम चरण	123100.00	1.21	148951.00
8	अष्टम् चरण	123100.00	1.33	163723.00
9	नवम् चरण	112170.00	1.46	163768.20
10	दसम् चरण	112170.00	1.61	180593.70
योग		1568590.00	-	1769191.90
या				1769192.00

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बागपत रेन्ज, बागपत

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग
बागपत।